पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

1 निहालचन्द पुत्र सुहावाराम जाति कम्बोज निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

2. शीलादेवी पत्नी निहालचन्द जाति कम्बोज निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम्

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

--- प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवकता श्री अब्दुल सतार जोईया :–वादीगण
2 राजपैरोकार

दिनांक 7/5/25

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक 2 एफ. टी. पी. पटवार हल्का सहारणी के जमाबंदी खाता संख्या 55/46 की कुल 1.265 है० तथा इसी चक के जमाबन्दी खाता संख्या 150/90 की कुल 0.253 है0 आराजी में वादी निहालचन्द तथा चक 6 सी. डी. आर. पटवार हल्का सहारणी के जमाबंदी खाता संख्या 167/150 की कुल 2.7830 है० आराजी में वादीया शीलादेवी की जाति कम्बोजसिख को दुरूस्त कर कम्बोज दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी